



मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल- 462003

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान)

MAULANA AZAD NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, BHOPAL- 462003

(An Institute of National importance under Ministry of Education, Govt. of India)

संपदा/2026/2106

दिनांक :- 08/09/2026

**//परिपत्र//**

भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय, संपदा निदेशालय, कार्यलय ज्ञापन संख्या 18011/2/2015-Pol.III दिनांक:- 10/07/2026 एवं BOG आदेश क्रमांक BoG-72(2023-2)/C-1/113 दिनांक 08/09/2023 के अनुसार आवास शुल्क की दर को संशोधित किया गया है। संस्थान में निम्नलिखित संशोधित लाइसेंस दर 01/07/2026 से लागू है। संशोधित लाइसेंस दर इस प्रकार है:-

| आवास श्रेणी | आवास क्र.  | क्षेत्रफल (Sq.Mtr) | वर्तमान मासिक शुल्क दर (Licence Fee) रुपये | 01/07/2026 से लाइसेंस शुल्क की संशोधित दर (Licence Fee) रुपये | अंतर (रुपये) |
|-------------|------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| I           | 1          | 180.09             | 2,590/-                                    | 2900/-                                                        | 310/-        |
| I           | 2          | 263.49             | 5430/-                                     | 6070/-                                                        | 640/-        |
| II          | 1,8-11     | 163.58             | 2,590/-                                    | 2900/-                                                        | 310/-        |
| III         | 23-30      | 164.42             | 2,590/-                                    | 2900/-                                                        | 310/-        |
| III         | 3-2,31-38  | 154.34             | 2,170/-                                    | 2430/-                                                        | 260/-        |
| IV          | 1-40       | 103.66             | 1,650/-                                    | 1850/-                                                        | 200/-        |
| VI          | 1-68       | 56.69              | 660/-                                      | 740/-                                                         | 80/-         |
| VII         | 1-16,33-48 | 46.10              | 660/-                                      | 740/-                                                         | 80/-         |
| VII         | 17-32      | 65.45              | 660/-                                      | 740/-                                                         | 80/-         |
| VIII        | 1-66       | 29.30-32.38        | 440/-                                      | 490/-                                                         | 50/-         |
| IX          | 1-53       | 36.97              | 440/-                                      | 490/-                                                         | 50/-         |
| IX          | 54-77      | 2.54               | 210/-                                      | 230/-                                                         | 20/-         |

संशोधित लाइसेंस शुल्क का अंतर 01/07/2026 से लागू होना।

यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है

**प्रति:**

- सभी सम्बंधित

**प्रतिलिपि:-**

- सभी संकायाध्यक्ष /विभागध्यक्ष /कार्यलय प्रमुख
- कुलसचिव /संपदा अधिकारी
- सहायक कुलसचिव (लेखा)
- निजी सहायक (नेदेशक के सूचनार्थ हेतु)

*गौरव बिंदी*  
08/09/26  
संयुक्त कुलसचिव (संपदा)